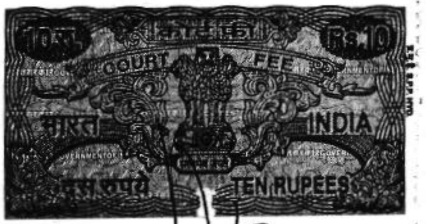

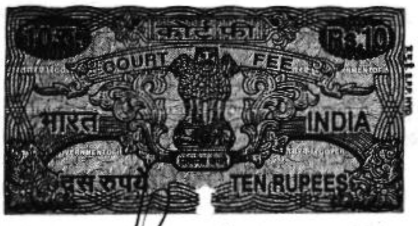

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश, ग्वालियर म0प्र0

पुनरीक्षण कमांक – I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2018/0699

काशी प्रसाद साहू उम्र 59 वर्ष तनय बाबूलाल साहू
निवासी जिला चिकित्सालय के सामने, छतरपुर म0प्र0 –पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक

बनाम

शासन म0प्र0 –उत्तरवादी

कार्यालय कलेक्टर
जिला छतरपुर म0प्र0
प्रस्तुतकर्ता का नाम श्री काशीप्रसाद साहू
स्वयं के द्वारा प्रस्तुत
शाखा का नाम रीडर कलेक्टर
दिनांक 12-1-2018

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा –50 एवं सपठित धारा–32 म0प्र0भू0रा0सं01959

पुनरीक्षण विरूद्ध योग्य अधीनस्थ विचारण न्यायालय तहसीलदार नजूल तहसील जिला छतरपुर म0प्र0 द्वारा जारी राजस्व मामले में नोटिस जारी दिनांक 7-11-2017 प्राप्त दिनांक 23-11-17 से दुःखित होकर।

12-1-2018

माननीय महोदय जी,
सादर पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक निम्न पुनरीक्षण न्याय हेतु प्रस्तुत करता है:-

--:प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:--

1- यहकि योग्य अधीनस्थ विचारण न्यायालय तहसीलदार नजूल छतरपुर जिला छतरपुर म0प्र0के समक्ष पुनरीक्षणकर्ता के रंजिशी व्यक्ति बाबूलाल साहू ने दुर्भावनापूर्वक दिनांक 24-7-09 को मिथ्या असत्य निराधार जिसका पूर्व में अनेकों बार निराकरण किया जा चुका है उसी बिन्दु पर पुनः शिकायत प्रस्तुत की जिसके पहले की गई शिकायत प्रकरण कमांक 13बी121/05-06 है जिसकी निगरानी माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर में निगरानी प्रकरण कमांक 2044-3/2014 पर पंजीबद्ध होकर विचाराधीन है तथा उसके पूर्व के प्रकरणों के अनेकों निर्णयों आदेशों जो की निगरानीकर्ता के पक्ष में हैं उनकों वरिष्ठ न्यायालयों में चुनौती नहीं दिये जाने से अन्तिम हो चुके हैं फिर भी बार-बार शिकायतें झूठी मुकदमेबाजी के कारण करता है उसी कम में शिकायतकर्ता ने पुनः दिनांक 24-7-09 को प्रस्तुत पुनः शिकायत कानूनन ही प्रचलन योग्य नहीं होने पर भी योग्य विचारण न्यायालय तहसीलदार नजूल छतरपुर ने इस शिकायत को पहले प्रकरण कमांक 29 बी121/08-09 पर तत्पश्चात प्रकरण कमांक 29अ68/08-09 पर दर्ज किया जाकर राजस्व मामले में नोटिस जारी कर मात्र अनावेदक की उपस्थिति की तारीख का नोटिस जारी किया जाता है जिसमें ना तो कोई कानून लिखा होता है ना ही कोई कारण लिखा होता है ना ही कोई शिकायत संलग्न होती है आखिर अनावेदक को किस कानून के तहत किस कारण उपस्थित होना है नहीं बतलाया जाता पुनरीक्षणकर्ता द्वारा लिखित आपत्तियां दिए जाने पर भी उक्त तथ्यों को नहीं बतलाया जा कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है फिर पुनः पुनः उक्त प्रकार से पुनः राजस्व मामले में नोटिस दिनांक 7-11-2017 को जारी कर दिनांक 23-11-17 को प्रदत्त कर मामले की सुनवाई तारीख 8-12-2017 को की जायेगी **(नोटिस संलग्न मूलतः)** प्रदत्त किये जाने से दुःखित होकर यह निगरानी निम्न एंव अन्य अनेक कारणों आधारों पर श्रीमान जी के श्रवण क्षेत्राधिकारिता में निर्धारित समयावधि में न्याय हेतु न्यायहित में प्रस्तुत की गई है।

27-1-18

12-1-18

कमश--2--

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक I/निगरानी/छतरपुर/भू0रा0/2018/0699

काशी प्रसाद साहू विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6-8-2019	आवेदक अभिभाषक श्री सुन्दरम श्रीवास्तव उपस्थित। अनावेदक शासकीय अभिभाषक श्री राजेन्द्र शर्मा उपस्थित। 2/ आवेदक अभिभाषक ने मौखिक एवं आवेदन पेश कर प्रकरण आगे संचालित न कर इसी स्तर पर समाप्त करने का अनुरोध किया। आवेदक अभिभाषक के अनुरोध पर प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (जे0के0 जैन) सदस्य	